राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः संस्था/चि0अ0/एटी/18/156 दिनांकः– 12/04/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अलवर/अजमेर/उदयपुर/बीकानेर, राजस्थान।

विषयः–केन्द्रीय कारागृहों/जेल डिस्पेन्सरियों में चिकित्सकों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के विभिन्न आदेशों से जिन चिकित्सकों का पदस्थापन/कार्यव्यवस्था द्वारा राज्य जेल डिस्पेन्सरियों/केन्द्रीय कारागृहों में लगाया गया था, को तुरन्त प्रभाव से सम्बन्धित जेल डिस्पेन्सरी/केन्द्रीय कारागृह में बन्दियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पाबन्द करें एवं साथ ही सम्बन्धित जेल डिस्पेन्सरियों में कैम्प का आयोजन कर बन्दियों को नियमित रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करावें एवं उक्त कैम्पों में महिला बन्दियों हेतु महिला रोग विशेषज्ञों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें। आपके अधीन प्रत्येक केन्द्रीय कारागृहों/जेल डिस्पेन्सरियों में दन्त चिकित्सकों का साप्ताहिक कैम्प आयोजित कर बन्दियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय स्तर समय–समय पर निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी केन्द्रीय कारागृह अलवर/अजमेर में दन्त चिकित्सकों द्वारा 15 दिवस में एक बार बन्दियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है एवं उदयपुर/बीकानेर में दन्त चिकित्सकों द्वारा बन्दियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है जो राजकार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सा अधिकारी दन्त को सप्ताह में एक बार आपके अधीन केन्द्रीय कारागृह/जेल में बन्दियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पाबन्द करें।

यदि आपके द्वारा आपके अधीन उक्त जेल डिस्पेन्सरियों में चिकित्सकों से बन्दियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो आपके विरूद्ध नियमानुसार सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

12.4.18

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः संस्था/चि0अ0/एटी/18/156 दिनांकः– 12/04/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3 महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
4 संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5 उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन– सम्बन्धित।
7 प्रभारी केन्द्रीय सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें एवं सम्बन्धित को ई–मेल करावें।
8 निजि/आदेश पत्रावली।

12.4.18

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।